## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 481/2017

अनवान : –

1. संदीप पुत्र शंकरलाल जाति जाट सा0 रतनपुरा तहसील नोहर।
2. नीतू पुत्री शंकरलाल जाति जाट सा0 रतनपुरा तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. शारदा देवी पत्नी स्व0 शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर हाल आबाद निरबाण तहसील सिरसा जिला सिरसा।
2. जयप्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजाराम पुत्र लेखराम जाति जाट सा0 रतनपुरा तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. एसबीबीजे (हाल एसबीआई) बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर जरिये प्रबन्धक एसबीबीजे (एसबीआई) बैंक शाखा फेफाना।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीगण**

**पेरोकार राज**

**निर्णय** दिनांकः 25/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 152/154 के प0न0 319/373 मु0न0 115 किला न0 25/0.2530 हैक्ट, प0न0 320/373 मु0न0 116 किला न0 21/0.2530, 22/0.2530 हैक्ट, 23 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 320/374 मु0न0 320/374 मु0न0 117 किला न0 1/0. 2150 हैक्ट, 2/0.2150, 3/0.2150 हैक्ट, 4/0.2150 हैक्ट, 6/1 की 0.089 हैक्ट, 7/0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, 9 की 0.2530 हैक्ट, 10/0.2530 हैक्ट, 11/0.1900 हैक्ट, 12/0. 1900 हैक्ट, 13/0.2400 हैक्ट, 14/0.2530 हैक्ट, 15/0.2530 हैक्ट, 16/0.510 हैक्ट, 17/0. 0120 हैक्ट, प0न0 319/374 मु0न0 118, 5/0.2150 हैक्ट, 6/0.2530 हैक्ट, 15/0.1260 हैक्ट प0न0 0 मुरब्बा न0 133/19 किला न0 0/2 की 0.1900 गै0मु0 रास्ता कुल तादादी 5.1990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ने गलत दर्ज करवा ली तथा उक्त भूमि में से 25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 को फरोख्त कर दी जो की उसको करवाने का अधिकार नही था तथा उक्त भूमि में वादीगण न0 1 व 2 हकदार व खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 1 ने बिना किसी अधिकार नाजायज पैतृक कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 ने अपने हक से ज्यादा भूमि फरोख्त कर दी तथा अब शेष बचे हिस्से ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी स0 1 ने नियम विरुद्ध हक से ज्यादा संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि का बेय कर दी जिसे फरोख्त करने का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी स0 1 ने उपरोक्त संयुक्त



उपखण्ड अधिकारी

परिवार को छोड़कर दुसरी शादी रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन निरबाण जिला सिरसा से कर ली है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा शादी अन्यत्र करने के कारण पति की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा है प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गयी है इसलिए प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण अपने आपको बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादी स0 2 ता 5 वाद भूमि के मुश्तरका सह खातेदार है तथा प्रतिवादी स0 2 ने प्रतिवादी स0 1 पहले ही 25 हिस्सा भूमि खरीद की है तथा अब भी प्रतिवादीगण स0 1 ने संयुक्त भूमि बिना खाते तकसीम करवाये बिना कोई हक हिस्सा के प्रतिवादी स0 1 से साजिश कर सस्ते दामों पर खरीद चाहते है तथा वादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि में से बेदखल करने तथा समस्त भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखते है जिससे वादीगण अपना 40–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 का हाल राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक व हिस्सा के मुताबिक खाता व लगान अलग अलग तकसीम करवाकर अलग अलग खाता कायम कर कब्जा प्राप्त करने के मुश्तहक है। अतः जमाबंदी दुरूस्त की जाकर प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि खाता स0 152/154 कुल 5.1990 हैक्ट 40–1/4 हिस्सा के वादीगण स0 1 व 2 को बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार वाद हक व हिस्सा मुताबिक वादीगण का खाता व लगान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 से हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हक व हिस्सा के मुताबिक खाता व लगान अलग के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया की रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 ने मुताबिक राजीनामा उक्त वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी स0 1 ने नियम विरूद्ध हक से ज्यादा संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि का बैय कर दी जिसे फरोख्त करने का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी स0 1 ने उपरोक्त संयुक्त परिवार को छोड़कर दुसरी शादी रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन निरबाण जिला सिरसा से कर ली है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा शादी अन्यत्र करने के कारण पति की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा है प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गयी है इसलिए प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण अपने आपको बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है को प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी स0 2 के नाम दर्ज की जावे एवं वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है को प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी स0 2 के नाम दर्ज की जावे एवं वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 481/2017

अनवान : –

1. संदीप पुत्र शंकरलाल जाति जाट सा0 रतनपुरा तहसील नोहर।
2. नीतू पुत्री शंकरलाल जाति जाट सा0 रतनपुरा तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. शारदा देवी पत्नी स्व0 शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर हाल आबाद निरबाण तहसील सिरसा जिला सिरसा।
2. जयप्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजाराम पुत्र लेखराम जाति जाट सा0 रतनपुरा तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. एसबीबीजे (हाल एसबीआई) बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर जरिये प्रबन्धक एसबीबीजे (एसबीआई) बैंक शाखा फेफाना।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 481 सन 2017 निर्णय दिनांक** 25/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 151 की कुल 5.1990 हैक्ट भूमि में से 955/10398 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

**(पंकज गढ़वाल R.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested